



## कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल

क्र०/स्था०वि०/ 3768 / 2015

भोपाल दिनांक

11/8/15

### आदेश

निम्नलिखित व्यक्तियों को अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर वरिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रुपये 5200-20200 ग्रेड पे रू० 2400/- एवं विपणन संघ द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं संघ द्वारा देय अन्य सुविधाओं पर कार्य पर उपस्थित होने की दिनांक से नियुक्त कर निम्नांकित दर्शाये अनुसार पदस्थापना स्थल पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं पता	संवर्ग	पदस्थापना स्थल का नाम एवं पता
1.	श्री भजनलाल अहिरवार द्वारा ज्ञानसिंह गोयल जीतू एस०टी०डी० के पीछे अशोक कालोनी, मुरार ग्वालियर म०प्र०-474006	अ०जा०	कार्यालय जिला विपणन अधिकारी म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या० भिंड (म०प्र०)
2.	श्री विजय सिंह चौहान एम०आई०जी० 1-ए-कैलाश नगर गोविन्दपुरा, भोपाल म०प्र०- 462023	अ०जा०	कार्यालय जिला विपणन अधिकारी म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या० रतलाम (म०प्र०)
3.	श्री धर्मेन्द्र धाकडे आत्मज श्री सुरेश कुमार धाकडे वार्ड नं० 8, चमन घाटी, चौरई पोस्ट चौरई जिला छिंदवाड़ा म०प्र० 480115	अ०जा०	कार्यालय जिला विपणन अधिकारी म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या० देवास (म०प्र०)
4.	सुश्री पूजा कोरी मौ शान्ति ज्वेलर्स के सामने वाली गली में 43, रामपुरा वार्ड सागर म.प्र	अ०जा०-महिला	कार्यालय जिला विपणन अधिकारी म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या० कटनी (म०प्र०)
5.	सुश्री अंजली सिसोदिया द्वारा:-एस.एल. सिसोदिया 15/02 रणजीत चौक गली न० 02 बडवानी म०प्र० 451551	अ०जा०-महिला	कार्यालय जिला विपणन अधिकारी म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या० इन्दौर (म०प्र०)
6.	श्री गिरीश मसराम 9 पार्ट-1, शान्ति गार्डन नवाब कालोनी दशमेश नगर, भोपाल-म०प्र० 462023	अ०ज०जा०	कार्यालय जिला विपणन अधिकारी म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या० सिवनी (म०प्र०)
7.	श्री भारत सिंह निर्मोदा म० न० 206 बी गोपाल नगर, खजूरीकला, भोपाल म०प्र० पिन-462021	अ०ज०जा०	कार्यालय जिला विपणन अधिकारी म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या० खंडवा (म०प्र०)

क्र०	नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं पता	संवर्ग	पदस्थापना स्थल का नाम एवं पता
8.	कु० रश्मि मरावी, फ्लेट नं०-09, जमुना बिल्डिंग, सेकेन्ड फ्लोर, प्लाट नं० 19-20 नियर मंगल आनंद हास्पिटल स्वास्तिक पार्क, चेम्बूर ईस्ट मुम्बई एम०एच० 400071 मोबाईल-9713971227	अ०ज०जा०-महिला	कार्यालय जिला विपणन अधिकारी म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या० शाजापुर (म०प्र०)
9.	सुश्री नेहा चौहान एच० आई० जी० डी एक्स -209, बागमुगालिया एक्सटेंशन लहारपुरा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भोपाल म०प्र० -462043	अ०ज०जा०-महिला	कार्यालय जिला विपणन अधिकारी म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या० सामर (म०प्र०)

उक्त नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् रहेगी :-

1. अभ्यर्थी की सेवाएँ म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के सेवानियमानुसार शासित होगी।

2. संघ में कार्य पर उपस्थिति के समय अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे :-

- 2.1 मेडिकल फिटनेस का मूल प्रमाण पत्र (जिले के किसी शासकीय चिकित्सा अधिकारी जो कम से कम असिस्टेंट सर्जन हो)।
- 2.2 दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा हाल ही में जारी चारित्रिक प्रमाण पत्र(जो कि अधिकतम 1 माह से पूर्व का न हो)
- 2.3 यदि अभ्यर्थी पूर्व से किसी संस्था में नियुक्त है तो उसके द्वारा पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- 2.4 शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आदि के समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी छायाप्रतियां राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटरी से सत्यापित
- 2.5 आदेश के साथ संलग्न पहचान प्रमाण पत्र पूर्ण कर संघ के उपस्थित स्थल के जिले के जिला/इकाई/कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।

संबंधित कार्यालय/जिला प्रमुख उक्त अभिलेखों का मूल प्रति से मिलान कर एवं सत्यापित कर छायाप्रतियां, उपस्थिति प्रतिवेदन सहित संघ मुख्यालय भोपाल को पंजीकृत डाक से तत्काल भेजें।

3. नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के 20 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा स्थिति में यह मानकर की अभ्यर्थी संघ की सेवा में नियुक्त नहीं होना चाहता अतः उसका चयन एवं नियुक्ति आदेश विपणन संघ द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

4. नियुक्त अभ्यर्थी संघ की सेवा के प्रति समर्पित रहेगा। स्वयं को किसी भी व्यापार/कारोबार या जीविकोपार्जन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं लगायेगा और न ही स्वयं को जानबूझ कर अनुपस्थित रखेगा।

5. नियुक्त अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देशों के बिना कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
6. परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को संतोषजनक परिणाम देना होगा। परिवीक्षा अवधि में परफारमेंस रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी को सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
7. अभ्यर्थी को सेवाकाल में म०प्र० के किसी भी जिले या स्थान जहां पर विपणन संघ का गोदाम/कार्यालय/क्रियाकलाप होंगे, पदस्थ किया जा सकेगा अथवा कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकेगा। जिला कार्यालय अन्तर्गत पदस्थ किये जाने वाले अभ्यर्थी अपना व्यवहारिक प्रशिक्षण संबंधित संघ के जिला कार्यालय के अधीन प्राप्त करेंगे।
8. जिन अभ्यर्थियों को इस आदेश में संघ के जिला कार्यालय अन्तर्गत किसी भंडारण केन्द्र में पदस्थापना की गई है ऐसे अभ्यर्थी प्रथमतः अपनी उपस्थिति संघ के जिला विपणन अधिकारी को देंगे। जिला विपणन अधिकारी से कार्य संबंधित 15 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण, जिसमें से 10 दिवसीय प्रशिक्षण आवश्यक रूप से जिले के भंडारण केन्द्रों में होगा, प्राप्त कर अभ्यर्थी पदस्थी स्थल पर उपस्थित होने हेतु कार्यमुक्त होंगे।
9. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति के तारतम्य में दी गई कोई भी जानकारी, किसी भी स्तर पर, किसी भी समय असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाने पर उनकी सेवाएँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
10. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन के साथ यथाआवश्यक अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०व० से संबंधित संलग्न जाति प्रमाण पत्र का, सत्यापन जारीकर्ता कार्यालय/सक्षम अधिकारी से कराया जावेगा। सत्यापन में विपरीत स्थिति पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त करते हुए, संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
11. यह नियुक्ति आदेश मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क०/एफ. सी 3-15/2012/1/3 भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2012 से जारी निर्देशों अन्तर्गत चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं। चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में अभ्यर्थी संघ की सेवा के अयोग्य पाये जाने पर उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
12. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद की नियुक्ति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

(अरुण माथुर)  
सचिव

पू०क०/स्था०वि०/ 3768 / 2015 भोपाल  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक 11/8/15

1. श्री/श्रीमति/कु० ..... वरिष्ठ सहायक को सूचनार्थ एवं आदेश के पालनार्थ।
2. जिला विपणन अधिकारी म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. .... म०प्र०।
3. मंडल प्रबंधक म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. .... म०प्र०।
4. मुख्यलेखाधिकारी सह वित्तीय नियंत्रक मुख्यालय भोपाल।
5. शाखा प्रमुख, (उर्जाजन/भंडारण/कृषि यंत्र/पौ०स०/परिवहन/प्रचार-प्रसार/विधि/कम्प्यूटर) मुख्यालय भोपाल।
6. निज सहायक, अध्यक्ष/प्रबंध संचालक को, अध्यक्ष/प्रबंध संचालक महोदय के सूचनार्थ।
7. संबंधित की व्यक्तित्वगत/वेतन वृद्धि/अवकाश/चरित्रावली नस्ती हेतु।

(अरुण माथुर)  
सचिव

## पहचान प्रमाण पत्र

(प्रमाण-पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक के हस्ताक्षर होना चाहिए, इसके अलावा किसी और के हस्ताक्षर मान्य नहीं किये जाएंगे तथा इस संबंध में आगे कोई लिखा पढ़ी नहीं की जायेगी)

(एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी, (दो) संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य, (तीन) सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/अधिकारी, (चार) तहसीलदार या नायब तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत हो, (पांच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख, (छ:) खण्ड विकास अधिकारी, (सात) पोस्ट-मास्टर, (आठ) पंचायत निरीक्षक।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
.....पिता/पति का नाम श्री ..... को पिछले  
..... वर्ष ..... माह से जानता हूँ तथा उनके द्वारा दिये गये  
ब्यौरे, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही है।

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

पद नाम स्पष्ट मोहर एवं पता  
.....  
.....

### कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम

पदनाम और पूरा पता

(दो) वह पद जिसके लिये उम्मीदवार के

संबंध में विचार किया जा रहा है